8/3/24 पत्रावली पेश। उभय पक्ष उप०।
प्रतिवादीगण की तामील प्राप्त।
प्रतिवादी सं. 1 श्रीमान जिला
कलेक्टर महो. सिरोही ने जरिये
पत्रांक विधि/411-12 दिनांक 17-5-24
द्वारा उनकी ओर से पैरवी हेतु तहसीलदार
आबूरोड को अधिकृत किया। पत्रावली
वास्ते जवाब हेतु दिनांक 22/3/24
को पेश हो।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

22/3/24 पत्रावली पेश।
उभय पक्ष उप०। प्रतिवादी जवाब
प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं।
जवाब बंद किया जाता है।
तथा मूल वाद को पुनः
नंबर पर लेने हेतु कार्यवाही
जारी की।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र
O-9-R-4 सपठित धारा 151
CPC को स्वीकार कर उक्त
[illegible] मूल वाद को पुनः
दर्ज कर [illegible] के
आदेश दि[illegible]

पत्रावली मूल नंबर
होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.10 14:06:55 IST
Reason: SelfAttested